

फर्द डिकी मुकदमात इब्दाई

आर.रुल्स 6-7 जाफा दीवानी

निर्णय वइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 154/2021

तारीख वाकफा - 28.11.2021

उनवान

मुफीद अहमद पुत्र श्री सुल्तान अहमद जाति खेतदार निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला
कोटा। - वादी

बनाम



1. परमानन्द पुत्र श्री छीतरलाल जाति किराड।
2. मेधराज पुत्र श्री छीतरलाल जाति किराड।
3. हंसराज पुत्र श्री छीतरलाल जाति किराड।
4. श्रीमती जानकीबाई बेवा श्री छीतरलाल जाति किराड निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। - प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :-

श्री नरेश गौतम (वकील वादी)

दिनांक :-

05/01/2022

श्री सरकार पैरोकार

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी
श्री नरेश कुमार गौतम मिन जानिब मुदई रुबरु श्री मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश
दिया जाता है कि -

माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 174 रुकबा
0.35 हैक्टर में से 0.16 हैक्टर पश्चिमी आराजी का वादी को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया
जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड में अगल दसमद किया जावे। विवादित
आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

बमानित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

(अंजना सहस्रवती)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

05/01/2022

निर्णय आज दिनांक 05/01/2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(अंजना सहस्रवती)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

.....
.....
.....
.....
.....
.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद

क्रमांक - 2022/211

दिनांक-14/2/22

वास्ते- पटवारी हलका लक्ष्मीपुरा

विषय- मि.न.12/2022.....इजराय की पालना बाबत।

उनवान- मुफ्तीद / परमानन्द

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में जेरकार उक्त प्रकरण में निर्णय डिक्री की पालना आपेक्षित है, जो कि आप द्वारा अभी तक भी नहीं भिजवाई गई है। जिसके अभाव में प्रकरण का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

अतः आप उक्त प्रकरण में पालना रिपोर्ट मय संबंधित रेकार्ड सहित अविलम्ब हो जरिये तहसील अन्दर 15 योम में आवश्यक रूप से भिजवाने की सुनिश्चितता करें। पालना रिपोर्ट नियत समय अवधि में प्राप्त नहीं होने पर आपके विरुद्ध विभागिय कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद, जिला- कोटा
सांगोद

क्रमांक- / 2021 /

दिनांक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ / पालनार्थ

1 तहसीलदार सांगोद / नायब तहसीलदार कनवास को भेजकर लेख है कि वांछित पालना रिपोर्ट नियत अवधि में कराई जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा
सांगोद

12/2022

कार्यालय तहसीलदार (भू0 अभि0) सांगोद जिला कोटा

क्रमांक / LR / 2023 / 832

दिनांक- 20/03/23


श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
सांगोद।

विषय:- न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बाबत।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय प्र0 सं0.....154/2021
उनवान.....सुफीद अहमद / परमानन्द.....में जारी डिक्री दिनांक.
26/11/21..... की पालना में ग्राम.....लाहरीपुरा.....में नामान्तरकरण सं.....211.....
दिनांक 08/03/22 को दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी
है। नकल जमाबंदी संलग्न है। इसमें कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।


तहसीलदार (भू0 अभि0)

तहसील सांगोद जिला कोटा



जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- लक्ष्मीपुरा
पटवार हल्का :- कुराडियाखुर्द
भू.अभि.नि. :- सांगोद
तहसील :- सांगोद
जिला :- कोटा

सम्बत :- 2073 - 2076
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 340
खाता संख्या पुराना :- 73

काश्तकार का नाम:-

1. मुफीद अहमद पुत्र सुल्तान अहमद हिस्सा- पूर्ण जाति- खेलदार सा. सांगोद खातेदार
राहिन (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा सांगोद,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1087/174 उत्तरी	0.1600	चाही प्रथम	0.1600 5.28			
कुल खसरे - 1	0.1600		0.1600 5.2800			

स्वीकृत नामान्तरकरण : 811 08/03/2022 न्याया. आदेश

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

NIG